

## “भारतवर्षमेंबलात्कार एकगम्भीरसमस्या

(एक बहुआयामीपरीक्षण / सामाजिकमनोवैज्ञानिक व न्यायिकपरिप्रेक्ष्य में)

डा० रश्मिगुप्ता, एम.ए., पीएच-डी, असि० प्रोफेसर, राजनीतिकविज्ञानविभाग, जे०एस० हिन्दूपी०जी०कालिज, अमरोहा ।  
प्रस्तुत अध्ययन भारतवर्षमें-बलात्कार’ की अत्याधिक बढ़ती घटनाओं के मुख्य कारकों यथामनोवैज्ञानिकसामाजिक, कानूनीपहलूओंपर एक गंभीरचिन्तनहै। जिसमेंउक्तअपराध में शामिलअपराधियों के चरित्र व मानसिकताजोकिउन्हेंउक्तअपराध करने के लिए प्रेरितकरताहै, के विषय में शोध का एक बिन्दुओंपरप्रकाशडालताहै।

ताजातरीन घटनाक्रममें 20 दिसम्बर 2019 कोजिला एवं सत्र न्यायालय तीसहजारीनईदिल्ली द्वाराविधायककुलदीप सिंह सेंगरउन्नाव की बितिया से सामूहिकदुष्कर्म के दोसालपुरानेमामलेमेंदोषीभाजपाविधायककुलदीप सिंह सेंगरकोउम्रकैद की सजासुनाईऔर उस पर 25 लाख रुपये का जुर्मानाभीलगायाजोउसे एक माहमेंदेनाहोगाइसकेअतिरिक्तकोर्ट ने पीड़िता की माँ कोदसलाख रुपयेअतिरिक्तमुआवजादेने का भीनिर्देशदिया। कम सजादेने की अपीलपरतीसहजारीकोर्ट के जिलाजज धर्मेश शर्मा ने कहाकिसेंगर ने जोकियावहबितियाकोडराने, धमकाने के लिए कहाहमेंनहींदिखानेवालीकोईबातनहींदिखीसेंगरलोकसेवकथाउसनेविश्वासघातकियाइसलिए मुरब्बतनहींकरसकते”। जबउक्तफैसलासुनायाजारहाथातोउक्तकुलदीपसेंगरपूरे समय अदालतमेंहाथजोड़े खडारहाफैसलाआतेहीवहकोर्ट रूम मेंफफक-फफककररोपड़ा। इस दौरानकोर्ट ने सेंगर की बहनऔरबेटीभीमौजूदथी, वहभीरोनेलगी।उक्तमामला 2017 का थासेंगरऔरउसकेसाथियों ने 2017 मेंपीड़िताकोअगवाकरसामूहिकदुष्कर्मकियाइसीसालजुलाईमेंपीड़िता की कार की ट्रक से भिंडतहोगयीजिसमेंपीड़िता की चाची व मौसी की मौतहोगयी। उक्त घटना का आरोपभीसेंगरपरहीहैतथापीड़िता के पिता की पुलिसअधिरक्षा मेंमौत का मामलाभीकोर्टमेंविचाराधीनहै। उक्तमामलेमेंचारबार के दबंगविधायककुलदीपसेंगर के खिलाफउन्नाव की पीड़िता ने जिसतरह से अपनीलड़ाईलडीवहअचंभितकरनेवालीहैहालत यह होगईथीकिसुप्रीमकोर्ट के निर्देशपरउससेसंबंधितसारेमामलेविशेषअदालतकोस्थानान्तरितकियेगये।

वेशक इस मामलेमेंअन्य मामलों की तुलनामेंजल्दफैसलाआयाहै, यह संस्थागत खामियोंकोभीउजागरकरताहै। सेंगर के रसूक का यह हालथाकिउसनेराजनैतिककैरियरकांग्रेसपार्टी

से शुरू किया वह बसपा, सपा और भाजपा से विधायक चुना गया क्या इस फैसले से राजनैतिक दल कोई सबक लेगे ? वास्तव में पीड़िता की लड़ाई पूरी व्यवस्था से थी जो इस विधायक को पनाह दिये हुए थी। जिसमें उस पीड़िता और उसके परिजनों को दबाने के लिए हर सम्भव पैतरा अजमाया गया। हालात यह थी कि जब किसी तरह वह विधायक के चुंगल से बाहर निकली तो थाने में उसकी फरियाद ही नहीं सुनी गई और फिर उस पर विधायक और उसके भाई का नाम एफ.आई.आर. में न लिखवाने का दबाव बनाया गया। तत्पश्चात् पीड़िता ने उ०प्र० के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर जब आत्मदाह की कोशिश की तब जाकर अमलाहरकत में आया। वह आज भी दिल्ली स्थित एम्स में जिन्दगी व मौत के बीच संघर्ष कर रही है।<sup>1</sup>

अभी हाल में तैलगाना के हैदराबाद में दिसम्बर 2019 को हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक जोकि रात्रि लगभग 9:00 बजे अपना मेडिकल क्लीनिक बन्द करके एक मेट्रो स्टेशन जहाँ पर उसने अपनी स्कूटी पार्क की थी, घटनास्थल से कुछ फासले पर पहुँचती है, वहाँ पर उसकी स्कूटी अपराधियों द्वारा एक राय मशविरा होकर एक षडयंत्र के तहत जबरिया पंचर कर दी तत्पश्चात् उक्त महिला चिकित्सक की मदद के बहाने से उक्त अपराधी सुनियोजित तरीके से अपहरण करके उक्त मेट्रो स्टेशन से कुछ दूर एक सुनसान जगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार के उस जिन्दा जला देते हैं ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाये और कोई गवाही देने वाला न हो।

उक्त मामले में 06 दिसम्बर 2019 की सबह 5:45 बजे से 06:15 बजे बीच में तैलगाना पुलिस द्वारा उक्त आरोपराधियों का मौके बारदात पर क्राइम सीन की दोहराने के दौरान भागने व पुलिस पर हमला किये जाने के कारण मौके पर ही ढेर कर दिया गया। हैदराबाद में डा० बिटिया को दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने वाले आरोपियों को पुलिस

एनकाउन्टर में मौत को देश भर में अगर जायज ठहराया जा रहा है तो लोगों की प्रतिक्रिया व्यवस्था के प्रति उन की गहरी नराजगी का सबूत है। क्योंकि जहाँ एक तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, दूसरी ओर अपराधियों को सजा देने में देरी हो रही है। देर से मिलान्याय भी न्याय को मना करने के बराबर है। कानून से चलने वाले समाज में जिस तरह गैर न्यायिक हत्याओं को सही नहीं ठहराया जा सकता, उसी तरह एनकाउन्टर पर खुशी भी एक चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे समाज के भीड़ तंत्र में बदलने का खतरा है। वास्तव में लोगों को लगता है कि अब न्याय इसी प्रकार से मिल सकता है यहाँ तक कि कानून बनाने वाले जन प्रतिनिधियों के एक बड़े हिस्से ने भी एनकाउन्टर का समर्थन किया,

जबकि उन परकानून और संविधान की रक्षा करने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी है और यह जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं कि पुलिस एनकाउन्टर पर लोगों की खुशी वास्तव में खुद उनकी नाकामी का ही परिचायक है। इसका समाधान यह है कि न्यायिक तरीके से अपराधियों को जल्दी सजा दिलाने की दिशा में सोचा जायें।<sup>2</sup>

इससे पूर्व 16 दिसम्बर 2012 को नई दिल्ली में घटित निर्भया के रेप के अपराधियों को न्यूनतम समय में सजा न दिया जाना तथा उक्त बलात्कारियों द्वारा निर्भया को बलात्कार कर जीवित छोड़ने पर आरोपियों के विरुद्ध चश्मदीद साक्ष्य देने के कारण से हीतेलंगाना में आरोपियों ने महिला चिकित्सक को पेट्रोल डाल कर जला दिया।<sup>3</sup>

उक्त निर्भया कांड में घटना के 24 घंटे के अन्दर छहों अपराधियों को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें से पांच अपराधी एक नाबालिग था, जिसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। चलती बस में एक महिला के साथ छः लोगों द्वारा देश की राजधानी में बलात्कार जैसा विभिन्न कांड किया गया जिससे पूरा देश हिल गया था। पूरे देश में प्रदर्शन हुये थे। मोम बत्ती लेकर भारत लोगों द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था। परन्तु उक्त घटना के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अपराधियों को आज भी फांसी नहीं हुई है। जबकि आज से कई वर्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायालयों द्वारा छः में से पांच अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी गयी थी। जिसमें एक अपराधी नाबालिग होने के कारण सजा से बच गया और मुख्य अपराधी का नाम रामसिंह द्वारा तिहाड़ जेल में फांसी लगाये जाने के कारण खुद कुषी कर ली गयी। बाकी चारों अपराधी कानून के लचीलेपन का सहारा लेकर कभी पुनरीक्षण याचिका मा10 सर्वोच्च न्यायालय में लगाते हैं। कभी महामहिम राष्ट्रपति के यहां दया याचिका लगाते हैं, येन-केन-प्रकारेण अपराधी गणतरह-तरह के प्रपंच रचकर कानून का मखौल बनाते हैं। जिससे जनसाधारण में अत्यन्त रोश है। ओडियों, वीडियों, बिजू अल प्रिंट मीडिया द्वारा उक्त घटना को कवर करेज करने में बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाया गया और पूरे देश व विदेश से विभिन्न लोगों के विचारों को उक्त घटनाक्रम के विषय में खुले रूप में दर्शित किया गया। उक्त छः आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्डसंहिता की धारा-307, 201, 365, 376 (2जी) व 377 के

तहत आरोपित किया गया तत्पश्चात निर्भया की मृत्यु हो जाने के पश्चात मामला 302 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया।<sup>4</sup>

निर्भया अपने लिये उन दरिन्दों से खूब लड़ी और इस घटना के बाद अपने को जीवित रखने हेतु उसने जबरदस्त संघर्ष किया लेकिन मल्टी आर्गेन्स फेलोअर की वजह से 28 दिसम्बर 2012 को उसकी मृत्यु सिंगापुर में होगयी और वहां से उसका शव लाया गया और 30 दिसम्बर 2012 को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी अन्तर्दृष्टि कर दी गयी। बलात्कार की मूल समस्या के पीछे हमें अपने सामाजिक कारणों की तरफ जाना होगा। भारत में अधिकांशतः पुरुष प्रधान परिवार होते हैं। जिसमें एक बच्चा शुरू से ही अपने दादा व पिता को अपने घर की दादी, मां बहने अपनी महिला सदस्याओं पर अधिपत्य व रौब को शुरू से ही देखता है और वह स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति समझने लगता है। उसकी समझ में आता है कि महिलाओं का दबने व कुचलने में ही पुरुषत्व है। उसकी इस सोच को बचपन में बढ़ावा मिलता है जहाँ बच्चा संस्कारहीन हो जाता है और वह समाज में महिलाओं को एक दूषित दृष्टिकोण से देखने लगता है और वह महिलाओं को कमजोर समझकर उस पर अपनी ताकत का प्रदर्शन बलात्कार करके करना चाहता है। इसके अतिरिक्त भारत वर्ष में कानून व पुलिस की लचर प्रणाली इतनी खराब है कि बलात्कार पीड़िता का अदालत में एक बार फिर कानूनी बलात्कार होता है और वह शर्मसार होकर या तो वह अपना सवापिस ले लेती है या फिर वह समाज से तिरस्कृत होकर एक गुमनामी का जीवन जीने लगती है। इसलिए आघे से ज्यादा मुकदमें तो दर्ज ही नहीं होते हैं।<sup>5</sup>

बलात्कार शब्द एक लेटिन शब्द 'टूसीज' से लिया गया है जो कि भारतीय दण्डसंहिता की धारा 375 में परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन यौन सम्बन्ध स्थापित करना बलात्कार है। भारत वर्ष में बलात्कार को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाता है। वास्तव में बलात्कार पीड़िता को शारीरिक रूप से ही क्षति नहीं पहुँचाता है बल्कि उसे समाज में विह्वल, परित्यक्त व उपहास का केन्द्र बनाता है और ज्यादातर भारत में बलात्कार निकट मरिश्तेदारों, मित्रों, व जान पहचान व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते हैं। इन सब में सबसे मयानक 'गैररैप' होता है जिसको दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के विरुद्ध पाशविक तरीके से उसके

शरीरकोनोचतेहैऔरउसेमरणासनकरकेछोडदेतेहै।जिससेउसकापूरापरिवेष्टीदूशितहोजाताहै।नेषनलका इमरिर्कॉर्डसब्यूरो के अनुसार 2011 में भारत में 24,206 बलात्काररिकार्डकियेगयेऔर 2007 से 2011 के बीच 9.2 प्रतिशतबलात्कार केमामलोंमेंवृद्धि हुई।भारतमेंप्रत्येक 20 मिनटमें एक औरत के साथबलात्कारहोताहै।“भारतमेंजहाँ बहुतसारीमहिलादेविया यथाकालीमाँ दुर्गामाँ, संतोषीमाँ,लक्ष्मी माँ पूजीजातीहैवहाँ परऔरतों के विरुद्ध बलात्कारमेंसालदरसालवृद्धि होरहीहै।प्रश्न यह हैकिभारतमेंरेपक्योंहोतेहै ? औरकिसकारण से व्यक्तिकिसीमहिला के साथबलात्कारकरताहै ? कौनसेकारक इस अपराध के लिएजिम्मेदारहै? वास्तवमेंहमेंअपनीसामाजिकसंरचना, सामाजिकविश्वासविधागिकाऔरसमाजमेंविद्यमानकुछमिथ का परीक्षणकरनाहोगाऔरउसकेसाथमें उनकारकों का भीपरीक्षणकरनाहोगाजोकिसीअपराधीकोबलात्कारकरने के लिएन केवलप्रेरितकरतेहैबल्किअपराध के प्रतिउसकीमानसिकताकोभी बढ़ावादेतेहै।तोपहलाकारणतो यह हैकिभारतकोऔरतोंको समझा दियाजाताहैकिवहपुरुषों की व्यक्तिगतसम्पत्तिहैइसलिए भारतमेंसबसेज्यादादहेजहत्या, यौनअपराध होतेहै।इसकेपश्चातदूसराकारणलैंगिकभेदभाव का हैजिसकेविषय मेंभारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰मनमोहन सिंह ने कहाथाकि“जबतकहमदेशकी आधीआवादीअर्थात् स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा करनाऔरसम्मानकरनातथाउनसेभेदभाव न करना शुरू नहींकरतेहैतबतककोईभीराष्ट्र, कोईसमाज,कोईरमुदाय अपनेसिरकोऊँचानहींकरसकताऔर इस सभ्य समाज का हिस्सानहींहोसकता।दुर्भाग्यवशभारतमेंजेन्डरअसमानताभी एक कारणहैजिसमें1000 पुरुषों पर 2011 के सर्वेक्षण के अनुसारकुल 914 स्त्रियाँ हीहै।<sup>6</sup>

यह किविवाह के पश्चातकिसी स्त्री कोपुत्र पैदाहोताहैतो उस स्त्री कोसम्मान की निगाह से देखा जाताहैऔरपुत्री पैदाकरनेपरउसी स्त्री कोरामाजद्वारातरह-तरह के उलाहनेदियेजातेहै।वास्तवमेंहमेंभारत के मूलभूतसोच केढाँचे में बदलवानाहोगा।इसकेअतिरिक्तसांस्कृतिककारकभीबलात्कार का अपराध कियेजाने के जिम्मेदारहै।क्योंकिपुरुष कोसदैवबलवान समझा जाताहैऔरस्त्रियोंकोकमजोर।जबकिषिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, यथाहर क्षेत्र मेंमहिलायें पुरुषों से श्रेष्ठप्रदर्शनकररहाहैऔरउच्चपदासीनहैऔरबौद्धिक क्षमताओंमेंकिसीपुरुषों सेकमतर नहींहैलेकिनस्त्रियोंकोपरिवारमेंदर्दसहनेअत्याचारसहनेऔरविरोध मेंआवाज नउठाने का उपदेशदियाजाताहै।हालत यहाँ तक खराबहैकि यदिकोईलडकास्कूल, कालिजजाते समय

किसी अपराधी द्वारा छेड़ी जाती है तब भी वह अपने घर पर बात नहीं बताती है। क्योंकि वह जानती है कि उसके घरवाले उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे।<sup>7</sup>

भारत में औरतों के प्रति अपराध यथा उसको छेड़ा जाना, तंग किया जाना, गंदे मूत्र दे इशारे करना उसका सैक्सुअल उत्पीड़न करना भारतीय दण्डसंहिता की धारा 354/509 में परिभाषित है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हाल यह है कि औरतों के प्रति अपराध के लिए उनका इन्वेस्टिगेशन तंत्र बहुत धीमा है और सजा दिलाये जाने की मात्रा बहुत कम है उल्टा पीड़िता को ही मुकदमा वापिस लेने, चुपरहने, समझौता करने की सलाह दी जाती है और अपराधी इन्हीं कारकों का फायदा लेकर आसानी से कानून से बच जाते हैं।<sup>8</sup>

इसके अतिरिक्त भारत की शिक्षा प्रणाली भी सैक्स एजुकेशन उचित तरीके से न दिये जाने के कारण से भी दोषी है। बल्लड हैल्थ आगेनाइजेशन ने कहा है कि "शुरू आती सैक्स एजुकेशन सेक्सुअल गतिविधि को कम करती है और सुरक्षित सैक्स की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करती है।" लेकिन भारत वर्ष में सैक्स की बात करना पाप और अपराध समझा जाता है इसी कारण से भारत में ज्ञान की कभी के कारण और उत्सुकता को शान्त करने के लिए ही वलात्कार किये जाते हैं जहाँ अपराधियों को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता वो केवल मजलेने के लिए और स्त्री को अपनी दासी घोषित करने के लिए कृत्य करते हैं।<sup>9</sup>

इसके अतिरिक्त भारत में यौन अपराधों के लिए सबसे प्रमुख कारण गांवों से शहर की ओर लोगों का पलायन है। 290 मिलियन लोग वर्तमान में शहरी क्षेत्र में रहते हैं जबकि 25 मिलियन लोग गांवों में रहते हैं जो कि 1901 में सर्वे के अनुसार है। गांवों में रोजगार व तरक्की के सुअवसर उपलब्ध न होने के कारण शहर की ओर पलायन किया। वर्ल्ड अर्वेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट के अनुसार 2030 तक गांवों से शहर की ओर पलायन करने वाले लोगों की संख्या—497 मिलियन हो जायेगी। पलायन का दुःप्रभाव यह होता है कि लोग अपनी संस्कृति, समाज, मर्यादाओं, मूलभूत विष्वसों व परिवार से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वह एकल परिवार में निरंकुश तरीके से शहरों में जीवन यापन करते हैं और तेजी से अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ बनाते हैं। इस सब घटनाक्रम में वह पश्चिमी सभ्यता के भारी प्रदर्शनों को अपना लेते हैं और अपने परम्परागत, संस्कार युक्त ज्वार्इन्ट फैमिली को तोड़ देते हैं और विभिन्न प्रकार के

हिंसकव्यवहार करने लगते हैं और नई टेक्नोलॉजी नई आइडियोलॉजी जैसे पोर्न मूवीज व हिंसकव्यवहार की तरफ मुड़ जाते हैं और निरंकुषता की वजह से जानेअज्ञाने यह बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने लगते हैं और वह अपनी अदम्य मे इच्छाओं को पूरा करने के लिये इस मार्ग का चयन कर लेते हैं।<sup>10</sup>

दिल्ली गैंगरेप मामले को हमतीन चरणों में स्थापित करते हैं 1. अपराधी 2. पीडिता 3. प्रदर्शनकारी। वस्तुतः उक्त दिल्ली गैंगरेप मामले में न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया व प्रदर्शनकारी ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी गूँज स्थापित कर दी। परिणामस्वरूप पूरा पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन व केन्द्र सरकार हिल गयी और पूरी तरह उक्त मामले का विकेन्द्रीकरण करके आनन-फानन में सभी मुल्जिमों को 24 घंटे में गिरफ्तार करके यह साबित किया कि वास्तव में सरकारें व जनमानस पीडिता के साथ हैं, अपराधियों के विरुद्ध हैं। अब इसके दूसरे पहलू पर गौर करते हैं कि इस गैंगरेप में मीडिया सक्रिय न हुआ होता, प्रदर्शन न हुये होते और पीडिता सामाजिक दबाव में अपना मुंह बन्द कर लेती तो वास्तव में क्या उसके साथ न्याय हो पाता? जबाब यह है कि कतई नहीं।<sup>11</sup>

वास्तव में हमें भारत में स्थित विभिन्न नगरों, उपनगरों में रहनेवाले व्यक्तियों के बीच एक संवाद स्थापित करना होगा, कार्यपालायें योजित करनी होंगी, लडकियों को मुखर बनाना होगा, त्वरित न्याय की ओर अग्रसर होना होगा, ऐसी सामाजिक संस्थायें स्वयंसेवी संस्थायें जो कि न्याय व सामाजिक परिवेष को एक सूत्र में पिरो सकें। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन को सक्रिय करना होगा। यह निर्विवाद सत्य है कि बलात्कार एक गंभीर अपराध है और बलात्कार को करने के दौरान अपराधियों द्वारा जो पाषविक तरीके पीडिता के विरुद्ध अपनाये जाते हैं। वह गंभीर चिन्तन का विषय है और प्रस्तुत पेपर उन कारकों को विष्लेशण करता है जो कि बलात्कार को किये जाने के जिम्मेदार हैं वह कारक कर्मणः सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक वातावरण और व्यक्तिगत सोच है। जिसके विषय में विभिन्न माध्यमों से इस पेपर में इसका निदान खोजने की एक कोषिष है जिसमें सामाजिक चेतना का मुखर होना अत्यन्त आवश्यक है। बलात्कार के प्रति सोच को बदलना और उसको प्रेरित न किये जाने हेतु प्रयास किये जाने होंगे और एक नया समाज की स्थापना करनी होगी।<sup>12</sup>

**—:संदर्भग्रन्थसूची:—**

1. अमरउजाला 21 दिसम्बर 2019 सम्पादकीय प्रवाहन्याय की तार्किकपरिणति ।
2. अमरउजाला 21 दिसम्बर 2019 दुश्कर्मीविधायकसंगरकोताउम्रकैदपृष्ठ 1
3. अमरउजाला 07 दिसम्बर 2019 सम्पादकीय प्रवाह "अपराध औरन्याय ।
4. अमरउजाला 07 दिसम्बर 2019 पुलिस का इन्साफपृष्ठ 01 ।
5. इण्डियनपीनलकोड ।
6. बेरन, एल एण्ड स्ट्रस एम (1987) "फारथ्योरीजऑफरेप ए मैक्रोसोषियोलॉजिकल एनालाइसिस, सोषलप्रॉब्लम्स 34,467-489 ।
7. बोरपाई, जी0एस0 नन्दराम, एस0 पुला, एस0 सम्पथ, वी0 षर्मा0आर0 एण्ड सिंह, जे0 (2012) राइजिंग, इन्सीडेन्सऑफरेप एण्ड सैक्सरिलेटिडक्राइम्सअगेन्सटबूमेनइनइण्डियाफाउडेणफॉरक्रिटीकलच्वाइसिसफॉरइण्डियाजनवरी 36 पृष्ठ ।
8. गुल0 एस0के0 (2009) एन0 एवूलेषनऑफ द रेषनलच्वाइसथ्योरीइनक्रिमनोलॉजीग्रिनेअमेरिकन यूनिवर्सिटीजनरलऑफसोषल एण्ड एप्लाइडसांइस 4(8) ।
9. षर्मा, राधा आर एण्ड मुखर्जी एस (2012) वूमेनइनइण्डियादेयरओडेसीटूवार्डसइनसिक्योरिटीकोटास, डायवर्सप्रसपेक्टिब्सकेसऑफजेन्डर, ईडस ।
10. षा, सी0 एण्ड मैके एच0 (1942) जुवेनाईलडेलीक्यून्सी एण्ड अवरन एरियाजषिकांगो यूनिवर्सिटीऑफषिकांगोप्रेस ।